रैगिग कानूनन अपराध
(Ragging: A Legal Offence)

रैगिंग निरोधक समिति/रैंगिंग निरोधक दस्ता माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र सं0 310/04 ए.आई.ए. दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 27 मार्च 2019 को दृष्टिगत रखते हुये यू.जी.सी. एवं कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन) के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एक रैगिंग निरोधक समिति **(Anti Ragging Committee)** एवं रैगिंग निरोधक दस्ता **(Anti Ragging Squad)** का गठन किया गया है, जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोरतम् कार्यवाही हेतु सबल संस्तुति भी करती है।

वर्तमान में महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति में निम्न सदस्य हैं, जिनसे संपर्क करके विद्यार्थी उक्त से संबन्धित शिकायत दर्ज कर सकते हैं-

1. डॉ. विनीता कोहली (संयोजक)
2. डॉ. विश्वनाथ राणा
3. डॉ. रुचि कुलश्रेष्ठ
4. डॉ. रिचा बधानी
5. डॉ. रमेश सिंह
6. डॉ. अनामिका छेत्री
7. डॉ. शिक्षा
8. श्रीमती नीतू राज

कालेजों में रैगिंग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञेय अपराध की श्रेणी में स्थापित किया है। रैंगिंग एक असामाजिक, आपराधिक एवं अमानवीय कृत्य है जिसे हर दशा में रोका जाना चाहिए। इस आपराधिक कृत्य को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से इसमें संलिप्त विद्यार्थियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। इसमें 25 हजार रूपये तक का अर्थण्ड भी सम्मिलित है। इसमें दोषी पाये जाने पर विद्यार्थियों के विरूद्ध रैगिग समिति अपराध के गम्भीरता को देखते हुये निम्नलिखित कार्यवाही कर सकती है।

1. प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. महाविद्यालय से निष्कासन/निलम्बन किया जाना।
3. किसी अन्य संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित किया जाना।
4. प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की वापसी।
5. अपराध की प्रवृति के अनुसार मुकदमा चलाया जाना भी सम्मिलित है।

रैगिंग का तात्पर्य –

किसी छात्र/छात्रा को बोलकर, लिखकर, संकेत द्वारा, हाव–भाव से या शारीरिक गतिविधियों से क्षति पहुंचाना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, भौतिक रूप से कष्ट पहुंचाना, नवीन प्रवेशार्थी व कनिष्ठ छात्र/छात्राओं को डराना, धमकाना, उन्हें मानसिक आघात पहुंचाना, हतोत्साहित करना, परेशान करना उनके क्रियाकलापों में गतिरोध उत्पन्न करना तथा उन्हें उन कार्यों को करने के लिये बाध्य करना जिन्हें वे करना नहीं चाहते या शर्म महसूस करते हैं या जिन्हें करने में उन्हें असहजता अनुभव होती हो या उन्हें मानसिक रूप से कष्ट होता हो। इसके अतिरिक्त किसी छात्र/छात्रा को दुष्कृत्य हेतु प्रेरित करना भी इसी अपराध की श्रेणी में आता है।